

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.4(12)गृह-1/2022

जयपुर, दिनांक: 17.03.2023

महानिदेशक गृहरक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

महानिदेशक कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

निदेशक,
अभियोजन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 515/2021 एवं 718/2021 द्वारा राज.राज्य व अन्य (अन्तर्गत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13173/2019 एवं 13461/2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021) बनाम श्री पीयूष पाटीदार व अन्य में माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 04.01.2022 एवं 12.01.2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047/2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि कॉन्स्टेबल भर्ती 2018 में एमबीसी बांसवाड़ा व दसवीं बटालियन आरएसी, बीकानेर हेतु चयनित रिक्त कॉन्स्टेबलों के उधमपुर प्रशिक्षण, संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकीय रूप से अयोग्य पाये जाने पर एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में कॉन्स्टेबल पद हेतु अनफिट पाये जाने पर राज्य सेवा से पृथक किये गये कामिकों को मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस. बी. सिविल याचिका संख्या 13173/2019 एवं 13461/2019 द्वारा श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 के विरुद्ध डीबी स्पेशल अपील संख्या-515/2021 एवं 718/2021 द्वारा राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री पीयूष पाटीदार व अन्य एवं श्री हमीरनाथ सिद्ध व अन्य में पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 04.01.2022 एवं 12.01.2022 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18047/2019 दयालाल डामोर बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2021 की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ कार्यालय

(1)

मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 में संशोधन के संबंध में कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना कमांक प. 3(4)कार्मिक/क-2/2022 दिनांक 16.03.2023 के कम में कनिष्ठ सहायक हेतु निर्धारित नियमों में अंकित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नांकित कार्मिकों को तालिकानुसार विभागों में पदस्थापन के आदेश जारी किये की सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	संवर्ग	आवंटित पद	आवंटित विभाग
1.	श्री हमीर नाथ सिद्ध	श्री रुपनाथ सिद्ध	11.02.1998	आरएसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
2.	श्री विक्की कुमार	श्री श्यामलाल	10.07.1990	आरएसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
3.	श्री राकेश कुमार मीणा	श्री जयनारायण मीणा	07.07.1992	आरएसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
4.	श्री पीयूष पाटीदार	श्री वेलजी पाटीदार	07.08.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
5.	श्री तुलसीराम सरपोटा	श्री रुपसी सरपोटा	20.07.1999	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
6.	श्री किशोर सिंह पंवार	श्री ईश्वर सिंह पंवार	10.07.1992	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
7.	श्री दयालाल डामोर	श्री भगवती लाल डामोर	07.09.1998	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
8.	श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान	श्री सोम सिंह चौहान	05.12.1996	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
9.	श्री सुनील चरपोटा	श्री दिलीप चरपोटा	06.12.1996	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
10.	श्री लक्ष्मीनारायण गंधर्व	श्री महावीर गंधर्व	06.08.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
11.	श्री राहुल मालवीय	श्री शंकरलाल	15.09.1990	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
12.	श्री भैरुलाल मीणा	श्री रामलाल	18.09.1996	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
13.	श्री नारायण लाल मीणा	श्री हजारीराम मीणा	06.03.1990	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
14.	श्री लक्ष्मण लाल कांट	श्री हेनजी	27.07.1989	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
15.	श्री गणेश राम	श्री छोगाराम	29.03.1992	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
16.	श्री भागीरथ मीणा	श्री मन्ना लाल	09.08.2000	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
17.	श्री सज्जन सिंह भारिया	श्री मानजी भारिया	12.09.1992	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
18.	श्री शिवराम मीणा	श्री उदय लाल	17.01.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	अभियोजन विभाग
19.	श्री कमलेश मीणा	श्री नानालाल मीणा	22.06.1994	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग

(2)

me

20.	श्री जितेन्द्र कुमार डामोर	श्री दिनेश कुमार	20.05.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
21.	श्री भगवती लाल मीणा	श्री दौलतराम	18.07.1992	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
22.	श्री विनोद डिण्डोर	श्री बारू डिण्डोर	04.03.1998	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
23.	श्री चिराग जोशी	श्री लालशंकर जोशी	18.03.1999	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
24.	श्री विशाल पाटीदार	श्री पवन पाटीदार	04.05.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
25.	श्री यशवंत कुमार	श्री रमेश मीणा	29.10.1998	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
26.	श्री विजय लाल	श्री रमेश	12.12.1995	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	कारागार विभाग
27.	श्री नन्दलाल मैदा	श्री जीवणा	10.01.1996	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	गृहरक्षा विभाग
28.	श्री दिनेश चन्द्र पडियार	श्री अर्जुन सिंह पडियार	12.12.1995	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	गृहरक्षा विभाग
29.	श्री राधेश्याम नागदा	श्री रतनलाल नागदा	24.07.1996	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	गृहरक्षा विभाग
30.	श्री अशोक कुमार	श्री खेत सिंह डामोर	01.10.1997	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	गृहरक्षा विभाग
31.	श्री यतीश राणा	श्री प्रवीण राणा	26.01.1998	एमबीसी	कनिष्ठ लिपिक	गृहरक्षा विभाग

अतः उपरोक्त कार्मिकों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना क्रमांक प. 3(4)कार्मिक/क-2/2022 दिनांक 16.03.2023 के अन्तर्गत आपके अधीन विभाग में दिनांक 20.03.2023 तक नियुक्ति प्रदान कर, की गई कार्यवाही से इस विभाग को अविलम्ब अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(जगवीर सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
3. अति. महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित याचिकर्ता को सूचनार्थ ।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)**

No. F. 3 (4) DOP/A -II/ 2022

Jaipur, dated: 16.3.2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, namely:-

- 1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (Amendment) Rules, 2023.
(2) They shall come into force with immediate effect.

- 2. Amendment of rule 6.-** After the existing proviso (vi) to clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service Rules, 1999, hereinafter referred to as the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"(vii) Notwithstanding anything contained in these rules, the persons who were selected in Constable Recruitment, 2018 in Mewar Bhil Corps Banswara and 10th Battalion RAC Bikaner but declared medically unfit in Basic Training at Udhampur and Medical Board constituted by the Sawai Man Singh Hospital, Jaipur for the post of Constable and who were removed from service, such persons shall be appointed on the post of Junior Assistant in compliance of decision of the Rajasthan High Court Jodhpur dated 04.01.2022 in D.B. Special Appeal Writ No. 515/2021 State of Rajasthan & others vs. Piyush Patidar & others, if the candidate fulfills academic qualifications and other conditions prescribed under these rules for the post of Junior Assistant. But the procedural requirement for appointment such as,-

- (a) computer qualification shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidate shall have to acquire any of the computer qualification as prescribed in these rules within the period of probation, failing which his/her probation shall be deemed to be extended, unless the appointing authority terminates his/her services finding the performance wholly unsatisfactory;
- (b) training or departmental examination or typing on computer shall not be insisted upon at the time of appointment. The candidates shall however, be required to clear such training or departmental examination or typing test on computer in any one language, either in English or in Hindi, within a period of two years, unless

16/3/2023

①

Contd -2

the period is relaxed by the Department of Personnel, for entitlement for confirmation, failing which his appointment shall be liable to be terminated. No annual grade increments shall be allowed until he acquires such qualification. On acquiring such qualification, annual grade increments shall be allowed notionally from the date of appointment but no arrears shall be paid.

The period for which employee remained out of service shall be regularised by grant of Extra Ordinary Leave, which shall not be counted for any purpose."

3. Amendment of rule 37.- After the existing proviso (viii) to sub-rule (1) of rule 37 of the said rules, the following new proviso shall be added, namely:-

"(ix) that the seniority interse of the persons appointed under proviso (vii) to clause (a) of sub-rule (1) of rule 6 shall be determined according to the merit list prepared for the appointment on the post of constable. These persons shall rank junior to the persons regularly appointed before the commencement of the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Service (Amendment) Rules, 2023."

By order and in the name of the Governor,


(Ram Niwas Mehata)

Joint Secretary to the Government.

11/2023